आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80) / लेखा / आकाशि / छा.ऑनलाईन / 2019–20 / 648 दिनांक– 15-11-19

रजिस्ट्रार
समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय
राजस्थान

विषय– महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर कोर्स मैपिंग / अनुमोदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्थित वर्ष 2019–20 में नये खुले राजकीय महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2019–20 में संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) चाहा गया है। शीघ्र (Affiliation) का अनुमोदन करावें, ताकि महाविद्यालयों द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, कोर्स मैपिंग आदि की कार्यवाही उपरान्त छात्रवृति पोर्टल (http://scholarship.rajasthan.gov.in) पर महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित हो सके तथा विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन छात्रवृति आवेदन किया जा सके।

महाविद्यालयों द्वारा कोर्स मैपिंग पश्चात् इसका संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय पर अनुमोदन (Verify) नहीं करने से विद्यार्थियों को छात्रवृति आवेदन भरने में कठिनाई आ रही हैं। यहाँ यह उल्लेखित करना उचित होगा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः जिन महाविद्यालयों द्वारा Affiliation एवं कोर्स मैपिंग आदि का अनुमोदन के लिए प्रकरण भिजवाये है उनका शीघ्र निस्तारण करावें। जिससे विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करावें।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80) / लेखा / आकाशि / छा.ऑनलाईन / 2019–20 / 649-650 दिनांक : 15-11-19

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त प्राचार्य / जिला नोडल अधिकारी राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित विश्वविद्यालय से Affiliation एवं उक्त वर्ष में संचालित कोर्स मैंपिंग / अनुमोदन संबंधित विश्वविद्यालय से व्यक्तिशः सम्पर्क कर शीघ्रता शीघ्र कराने का श्रम करें जिससे कि आपके महाविद्यालय का नाम छात्रवृति पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके तथा छात्र / छात्रायें समय पर छात्रवृति ऑनलाईन आवेदन कर सके।
2. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु एवं संबंधित विश्वविद्यालयों को ई–मेल प्रेषण बाबत।

(राजकुमार मीना)
वित्तीय सलाहकार

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/